उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–2

संख्या जी-2-711/दस–2006-602/81
लखनऊ, दिनांक 24 अप्रैल, 2006

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः–महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ के कार्यालय में लेखा संबंधी कार्य तथा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ में शासकीय मुकदमों की पैरवी से संबंधित कार्य हेतु जाने वाले सरकारी सेवकों को अनुमन्य अतिरिक्त दैनिक भत्ता की दर में वृद्धि।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक शासकीय कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–4–1359/दस–86–602/81, दिनांक 30 अगस्त, 1986 में यह व्यवस्था की गयी है कि ऐसे समस्त सरकारी सेवकों को, जो महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय में लेखा संबंधी कार्य हेतु इलाहाबाद दौरे पर जायं उन्हें इलाहाबाद में नियमानुसार अनुमन्य दैनिक भत्ते के अलावा प्रतिदिन रुपये 10/– की धनराशि अतिरिक्त दैनिक भत्ते के रूप में अनुमन्य होगी और यह अतिरिक्त दैनिक भत्ता सरकारी सेवकों को उन्हीं दिनों के लिए ग्राह्य होगा जिन दिनों के लिए उन्हें सामान्य नियमों के अन्तर्गत दैनिक भत्ता अनुमन्य हो। तद्नुसार अतिरिक्त दैनिक भत्ते की अनुमन्यता बाद में कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–4–816–दस–602–81, दिनांक 12 मई, 1987 से महालेखाकार, उत्तर प्रदेश की लखनऊ स्थिति शाखा में लेखा संबंधी कार्यों के सम्बन्ध में भी स्वीकृत की गई है।

2–उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 30 अगस्त, 1986 में यह भी व्यवस्था की गयी है कि ऐसे समस्त सरकारी सेवक, जो उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ के कार्यालय में मुकदमों की पैरवी आदि के संदर्भ में शासकीय कार्यवश जांय, को भी इलाहाबाद/लखनऊ में नियमानुसार अनुमन्य दैनिक भत्ते के अलावा प्रतिदिन रुपये 10/– की धनराशि अतिरिक्त दैनिक भत्ते के रूप में ग्राह्य होगी । यह अतिरिक्त दैनिक भत्ता सरकारी सेवकों को केवल उन्हीं दिनों के लिए ग्राह्य होगा जिन दिनों के लिए उन्हें सामान्य नियमों के अन्तर्गत दैनिक भत्ता अनुमन्य हो।

3–इस संबंध में वर्तमान दरों में पुनरीक्षण किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किए हैं कि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/ लखनऊ के कार्यालय में लेखा संबंधी कार्य तथा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ में शासकीय मुकदमों की पैरवी से संबंधित कार्य हेतु जाने वाले सरकारी सेवकों को अब प्रतिदिन रु० 30/– की दर से अतिरिक्त दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा।

4–महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ और मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/ लखनऊ के कार्यालय में जाने वाले सरकारी सेवकों को उन मामलों में अतिरिक्त दैनिक भत्ते की सुविधा ग्राह्य न होगी जिनमें साधारणतया किसी पत्र को सुपुर्द करने या उन कार्यालयों से कोई पत्र/पत्रोत्तर प्राप्त करने का कार्य निहित हो।

5–यह आदेश उन यात्राओं पर लागू होंगे जो इस कार्यालय-ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ हुई हों ।

मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव, वित्त–II

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

संख्या जी-2-711(1)/दस–2006–602/81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार (लेखा) प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (आडिट) प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वितीय, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ।
4–सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5–प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, विधान भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
भुवन चन्द्र जोशी,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 4 सा० वित्त–(166)–2006–10,000(कम्प्यूटर/आफसेट)।